

न्यायालय भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 03/2022-23

अनुसूची -14 फॉर्म सं0- 563

आदेश की कं0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी																		
26/7/22	आवेदक एतवा मुण्डा, पिता स्व0 पता मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम - पकरा, थाना - कामडारा, जिला- गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table border="1"> <tr> <th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं0</th><th>खाता सं0</th><th>प्लॉट सं0</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr> <tr> <td>पकरा</td><td>35</td><td>16</td><td>59</td><td>0.30 एकड़ में से 0.2 एकड़</td><td>टांड</td></tr> <tr> <td>पकरा</td><td>35</td><td>16</td><td>60</td><td>0.50 एकड़ में से 0.15 एकड़</td><td>टांड</td></tr> </table> कुल 0.17 (सतरह डिसमील) प्लॉट सं0 59 का चौहदी :- उत्तर में - पक्की सड़क, दक्षिण में - विनोद सुरीन बगैरह, पूरब में - शिशिर सुरीन वो रेजन सुरीन, पश्चिम में - नीज बिक्रेता। प्लॉट सं0 60 का चौहदी :- उत्तर में - पक्की सड़क, दक्षिण में - विनोद सुरीन बगैरह, पूरब में - शिशिर सुरीन वो रेजन सुरीन, पश्चिम में - नीज बिक्रेता। जमीन विक्रेता का विवरणी एतवा मुण्डा, पिता स्व0 पता मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम - पकरा, थाना - कामडारा, जिला-गुमला जमीन क्रेता का विवरणी मंगरू लोहरा, पिता स्व0 गुडू लोहरा, जाति - लोहरा, ग्राम - पकरा, थाना - कामडारा, जिला गुमला । आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता मंगरू लोहरा, पिता स्व0 गुडू लोहरा, जाति - लोहरा, ग्राम - पकरा, थाना - कामडारा जिला- गुमला से राशि 2,72,000 (दो लाख बहतर हजार)रुपये पर बिक्री	राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म	पकरा	35	16	59	0.30 एकड़ में से 0.2 एकड़	टांड	पकरा	35	16	60	0.50 एकड़ में से 0.15 एकड़	टांड	
राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म															
पकरा	35	16	59	0.30 एकड़ में से 0.2 एकड़	टांड															
पकरा	35	16	60	0.50 एकड़ में से 0.15 एकड़	टांड															



करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, कामडारा को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, कामडारा के कार्यालय के पत्रांक 03 दिनांक 08/07/2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा एवं लोहरा के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, कामडारा के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक एतवा मुण्डा, पिता स्व0 पता मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम - पकरा, थाना - कामडारा जिला-गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 2,75,000 (दो लाख पचहतर हजार) रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)



भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)